(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर

समक्ष - एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 958-दो/2007 - विरूद्ध - आदेश दिनांक 30-4-2007 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 80/2005-06 अपील

1- हमीद खॉ पुत्र अब्दुल गनी खॉ
2- युसुफ खॉ पुत्र श्री नूरा खॉ
दोनों निवासी बार्ड 15 कस्वा जौरा
जिला मुरैना, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

वक्फ बोर्ड इंतजामिया कमेट जामा मस्जिद
जौरा तहसील जौरा जिला मुरैना व्दारा
सचिव मुनीर खॉ इतजामिया कमेटी जामा
मस्जिद जौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस०के०अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.के.शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 3-10-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 80/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-4-2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कस्वा जौरा के बार्ड क्रमांक 15 में जामा मस्जिद स्थित है। अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी जौरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि जामा मस्जिद जौरा का वह पुर्ननिर्माण कराना चाहते हैं इसलिये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी जौरा ने प्रकरण क्रमांक 12/2001-02 अ-20 (4) पंजीबद्व किया तथा पक्षकारों की सुनवाई एंव जांच उपरांत आदेश दिनांक 7-7-2003 पारित किया तथा जामा मस्जिद निर्माण पर आपत्ति न होना दर्शाया। अनुविभागीय अधिकारी जौरा के इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने प्रथम अपील अपर कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 8/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-10-2005 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने द्वित्तीय अपील अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 80/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-4-2007 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का समर्थन करते हुये आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि जिस भूमि पर निर्माण का विवाद है वह अनावेदक की नहीं है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी ने भूमि सर्वे नंबर 547 उससे लगी भूमि पर गलत आधारों पर निर्माण अनुमति दी है। यदि जामा मस्जिद तोड़कर पुनः बनाई गई तो समस्त धर्मावलम्बियों की भावनाओं पर उलटा

असर पड़ेगा एंव जातीगत उपद्रव की आशॅका है। जामा मस्जिद से लगी भूमि नगर पंचायत की है जिस पर जामा मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। नीचे के न्यायालयों में प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया। आवेदकगण नगर पंचायत के किरायेदार हैं तहसीलदार ने गलत इन्द्राज करके भ्रम फैलाया है । अतएव सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जॉय।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकगण अपने निजहित के लिये मस्जिद का सार्वजनिक हित में निर्माण होने देना नहीं चाहते हैं। मस्जिद बहुत पुरानी है यदि मस्जिद नमाज के समय गिर गई तो जनहानि हो जावेगी। उन्होंने सार्वजनिक हित में नीचे के न्यायालयों के निर्णय सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से यह निर्विवाद है कि कस्वा जौरा के बार्ड क्रमांक 15 में स्थित जामा मस्जिद सचिव मुनीर खॉ की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है और न ही उसके व्यक्तिगत हित जामा मस्जिद से जुड़े है अपितु जमा मस्जिद पुरानी व जर्जर हालात में पहुंचने के कारण सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखकर अकेले मुनीर खॉ नहीं, वरण् समस्त इंतजामिया कमेटी के बहुमत के आधार पर हुये निर्णय अनुसार जामा मस्जिद का पुर्ननिर्माण किया जाना है और इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर अनुविभागीय अधिकारी जौरा ने प्रकरण क्रमांक 12/2001-02 अ-20 (4) में पारित आदेश दिनांक 7-7-2003 से अनापत्ति प्रमाण दिया है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 8/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक

31-10-2005 में तथा आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 80/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-4-2007 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 80/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-4-2007 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर